परिपत्र सं. 18/2017-सीमाशुल्क

फा.सं.609/13/2017-डी.बी.के
भारत सरकार, राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
प्रतिअदायगी प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महा निदेशक,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त
सभी सी.बी.ई.सी के अंतर्गत आने वाले।

महोदया/महोदय,

विषयः- प्रतिअदायगी दिये जाने से संबंधित नमूना लेने से ए.ई.ओ. प्रमाण-पत्र धारकों को छूट।

मुझे आप का ध्यान परिपत्र संख्या 5/2017-सीमाशुल्क दिनांक 28.02.2017, पर आकृष्ट करने का निर्देश निदेश हुआ है जिनके अंतर्गत प्रतिअदायगी दिए जाने के उद्देश्य से नमूना लिए जाने की आवश्यकता से उन निर्यातकों को, अपवाद स्वरूप विशेष सूचना या आसूचना के मामलों को छोड़कर, छूट प्रदान की गई है जिनको परिपत्र सं. 33/2016 सीमाशुल्क दिनांक 22.07.2016 के अंतर्गत प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ए.ई.ओ.) का प्रमाण-पत्र (टीयर-II और टीयर-III) दिया गया है।

2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुक्रम में और आगे भी सुविधा प्रदान किए जाने के एक उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिअदायगी दिए जाने के उद्देश्य से नमूना लिए जाने की आवश्यकता से दी जाने वाली छूट अब टीयर-I प्रमाण-पत्र धारक प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ए.ई.ओ.) को, अपवाद स्वरूप विशेष सूचना या आसूचना के मामलों को छोड़कर, भी दी जाएगी।

3. व्यापारियों और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त लोक सूचना और आदेश जारी किए। इस कार्य में अगर कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे बोर्ड के सामने लाया जा सकता है।

भवदीय,

(दिपिन सिंगला)
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (प्रतिअदायगी)